संख्या-170/2016/1157/22-2-2016-17(298)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2016***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फिरोजपुर (पंजाब) में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरजीत सिंह पुत्र श्री अनोख सिंह निवासी जनपद-फिरोजपुर (पंजाब) की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 22874/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/08-07-2016 दिनांक 22-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फिरोजपुर (पंजाब) में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरजीत सिंह पुत्र श्री अनोख सिंह निवासी ग्राम-डेरा सुनौली, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ हाल पता- फिरीदवाले, थाना-कुलगढ़ी, जिला-फिरोजपुर (पंजाब) का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 14.08.1999 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक व तमन्चा से गोली मारकर तीन व्यक्तियों की हत्या व मृतक के पुत्र जिसकी उम्र 06 माह थी, पर जान से मारने की नियत से फायर करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1214/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148, 307/149, 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-5, मेरठ द्वारा दिनांक 24-05-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त वर्तमान में कारागार में निरूद्ध है तथा 03 अन्य सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 22-06-2016 तक 16 वर्ष 10 माह 03 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष की 00 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर (पंजाब) द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने विवाद समाप्त न होने की दशा में पुन: अपराध कारित हो सकता है की आख्या अंकित की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने बन्दी द्वारा तिहरे हत्या काण्ड को अन्जाम दिया है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की आख्या अंकित की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 14.08.1999 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक व तमन्चा से गोली मारकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तीन व्यक्तियों की हत्या व मृतक के पुत्र जिसकी उम्र 06 माह थी, पर जान से मारने की नियत से फायर करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है, बन्दी की आयु, भविष्य में अपराध कारित करने में अशक्त न होने एवं कारित किये गये अपराध की जघन्यता/गम्भीरता के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी हरजीत सिंह (बन्दी संख्या-6587/331) पुत्र श्री अनोख सिंह, निवासी जनपद-फिरोजपुर (पंजाब) की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-170/2016/1157/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजपुर (पंजाब)/मेरठ उ0प्र0।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फिरोजपुर (पंजाब) ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।